

प्रथम स्थिति

निविदा शुल्क 100/-

निविदा प्रपत्र

सेवामें,

वित्त नियंत्रक,

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
उदयपुर।

विषय:- वर्ष 2009 एवं उसके पश्चात् के मॉडल तथा 50,000 कि.मी. से कम उपयोग की गई इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार आवश्यकता के आधार पर (As & when required basis) अल्प समय (5 घन्टे) के लिये वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर किराये पर उपलब्ध कराने सम्बंध में।

प्रसंग:-आपकी निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक निविदा सूचना के क्रम में मेरे/हमारे द्वारा निविदा शुल्क 100/-नकद रसीद संख्या दिनांक द्वारा अथवा डी.डी पे ऑर्डर क्रमांक दिनांक द्वारा जमा करा दिये गये है। मैं/हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 में वर्णित सभी शर्तों एवं इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से सहमत हूँ/है। इन शर्तों का मैंने/हमने ध्यान से अवलोकन एवं मनन कर लिया है। सहमति स्वरूप मैंने/हमने प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। इस प्रारूप के साथ अमानत राशि **रुपये 2000/-** अक्षरे चार हजार रुपये का बैंकर चैक संख्या दिनांक जारी कर्ता बैंक का नाम **वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित है। इस निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र भी संलग्न है।

1. निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना (परिशिष्ट 'अ' के अनुसार)
2. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति।
3. निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन मैं/हम इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार के लिये निम्नानुसार निविदा राशि प्रस्तावित करता हूँ/करते है।

वाहन का मेक	मॉडल	प्रति दिन 5 घन्टे व न्यूनतम 50 कि.मी. संचालन के लिये प्रस्तावित एक मुश्त राशि (प्रतिफल राशि-रुपये में)	50 कि.मी. से अधिक वाहन के चलने पर प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिये दर (राशि-रुपये में)
इंडिका (Non-AC)			
इंडिका (AC)			
टवेरा (Non-AC)			
टवेरा (AC)			
इनोवा (Non-AC)			
इनोवा (AC)			

यदि वाहन निर्धारित न्यूनतम दूरी से भी कम दूरी तय करता है तो विश्वविद्यालय को उक्त न्यूनतम एक मुश्त राशि (प्रस्ताव 3 में प्रस्तावानुसार) का भुगतान करना होगा अर्थात् प्रथम 50 किलोमीटर के लिये पृथक से मेरी/हमारी अन्य कोई मांग नहीं है।

भवदीय

- संलग्न:-
1. निविदा की शर्तें व वाहन की संक्षिप्त सूचना परिशिष्ट "अ" के अनुसार
 2. अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट

नाम पता

दूरभाष (मोबाइल सहित) नम्बर

स्थान:-

दिनांक:-

निविदा की शर्तें

निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौविवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 के क्रम में इंडिका, टवेरा व इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार आवश्यकतानुसार (As & when required basis) के आधार अल्प समय के लिये किराये पर उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

1. वाहन का वैध टैक्सी परमीट (राजस्थान परिवहन अधिनियम (Motor Vehicle act) के अन्तर्गत टैक्सी का अनुज्ञापत्र) व चालक के पास वैध चालन अनुज्ञापत्र (**Driving License**) होना अनिवार्य है।
2. कार का मॉडल 2009 या उसके पश्चात् का होना चाहिए।
3. अनुबंध, वार्षिक अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। अनुबंध की प्रभावी अवधि, निविदा स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
4. न्यूनतम अवधि 5 घंटे की है। इस अवधि की गणना उपयोगकर्ता (Users) के निर्दिष्ट स्थान पर वाहन की पहुंचने से प्रारम्भ होगी।
5. निविदादाता द्वारा प्रतिदिन के आधार पर (न्यूनतम 5 घण्टे) आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त प्रतिफल की राशि (प्रतिदिन 50 किमी के न्यूनतम संचालन के लिये) निविदा प्रपत्र में निर्धारित तालिका में प्रस्तावित करना होगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.06.2011 को 10.00 बजे तक एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण कर जमा कराने की तिथि 02.06.2011 को 11.00 बजे तक होगी जिसे उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 11.30 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का (वापसी योग्य नहीं) शुल्क रु. 100/-होगा।
6. निविदा के लिये अमानत राशि रु. 2000/-अक्षरे रूपये दो हजार निर्धारित है जिसे निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त राशि का डी.डी अथवा बैंकर चैक वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के पक्ष में उदयपुर में देय संलग्न किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि, धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी। मासिक दावे की सकल राशि में से 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में कटौती की जायेगी, जिसे अनुबंध अवधि में संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में, अनुबंध अवधि के पश्चात् लौटाई जायेगी।
7. वाहन चालक को देय समस्त वेतन-भत्ते व अन्य परिलाभ, वाहन की मरम्मत, रखरखाव व्यय, रोड़ टैक्स (राजस्थान राज्य), डिजल/पेट्रोल, ऑयल व समस्त व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा। अन्य शब्दों में वाहन से सम्बंधित समस्त व्यय सफल निविदादाता को वहन करना होगा लेकिन टोल टेक्स का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।
8. नियमों के अन्तर्गत देय सेवाकर विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से भुगतान योग्य होगा। सफल सेवा प्रदायक द्वारा सेवा कर के भुगतान का प्रमाण (चालान आदि की सत्यापित प्रति) प्रस्तुत करने पर सेवा कर का पुर्नभरण किया जायेगा।

Cont.....2

9. यदि वाहन 5 घंटे में 50 कि.मी. से कम चलता है तो भी न्यूनतम अनुमोदित राशि का भुगतान देय होगा।
10. इंडिका, टवेरा व इनोवा कार की निविदा का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से पृथक-पृथक होगा।
11. तकनीकी खराबी/सेवा में दोष यथा चालक की अनुपस्थिति आदि के कारण हुये व्यर्थ समय को समय की गणना में समाविष्ट नहीं माना जावेगा।
12. निविदादाता को न्यूनतम 50 किलोमीटर प्रतिदिन (5 घन्टे की अवधि) आधार पर संचालन गारंटी को ध्यान में रखते हुए वाहन किराये की सेवा के प्रतिफल में निविदा प्रपत्र के वर्णित तालिका में एक मुश्त राशि प्रस्तावित करनी होगी।
13. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।
14. विशिष्ट परिस्थितियों में एवं/अथवा सेवा में दोष महसूस होने पर विश्वविद्यालय को अनुबंध एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके लिये विश्वविद्यालय से निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति अधिकार नहीं होगा।
15. सफल निविदादाता का वाहन खराब होने की दशा में तुरंत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर हुए अतिरिक्त व्यय का भार सफल निविदादाता को वहन करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था में असफल होने पर प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/-की क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता को करनी होगी।
16. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस एवं वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना वांछनीय होगा।
17. उपयुक्त वाहन समय की पाबन्दी व चालक की सेवाओं का सन्तोषजनक होना इस निविदा का सारतत्व (Essense) हैं। सेवा का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा व अन्तिम होगा।
18. वाहन के किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मांगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
19. वाहन में अधिकृत व्यक्ति ही यात्रा करेंगे तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को यात्रा करते हुए पाये जाने पर निविदादाता से प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पाँच सौ मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जायेगी। अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन में बैटाने/यात्रा करने पर उत्पन्न किसी जोखिम के प्रति विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
20. विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार, निदेशक अनुसंधान व अधिष्ठाताओं (उदयपुर मुख्यालय पर अवस्थित) व विश्वविद्यालय पूल अधिकारी के अनुरोध करने पर वाहन 2 घंटे में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। सूचना लिखित/फोन पर प्रदान की जायेगी। सम्पर्क हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व दूरभाष (मोबाईल) उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
21. वाहन चालक की मुख्यालय से बाहर यात्रा के दौरान उसे किसी प्रकार का विश्राम भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
22. अनुबंध की अवधि में किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का निविदा की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

- : 3 :-

23. वाहन का पूर्ण बीमा (काम्प्रिहेन्सिव) होना चाहिये। बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
24. निविदादाता को श्रम व वाहन अधिनियम (Motor Vehicle act) कानूनों की अक्षरशः पालना करनी होगी।
25. अनुबंध की शर्तों, नियमों के निर्वचन व आशय पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को भी मान्य होगा।
26. वाहन के चालान, हानि, किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
27. निविदादाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करेगा अर्थात् सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
28. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता को देय भुगतान पर नियमानुसार आय कर एवं अन्य प्रभावी कर की कटौती की जावेगी।
29. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध भी करना होगा। इस हेतु निर्धारित राशि का स्टाम्प कार्यालय में कार्यादेश के 7 दिवस में जमा कराकर अनुबंध निष्पादित कराना होगा।
30. वाहन में स्टेपनी व टूल बॉक्स रखना अनिवार्य होगा।
31. अनुमोदित सेवा प्रदायक से एक से अधिक कार किराये पर ली जा सकती है।
32. इस अनुबंध से सम्बंधित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना

1. निविदादाता का नाम, पता व दूरभाष/मोबाईल संख्या

.....

2. वाहन का विवरण जिसका निविदादाता स्वामी है और जिसके आधार पर निविदा में दर अंकित की गई है।

रजिस्ट्रेशन नम्बर

मेक/मॉडल

रजिस्टर्ड स्वामी का नाम

.....

.....

.....

रजिस्ट्रेशन सम्बंधी दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम

दिनांक:

स्थान: उदयपुर

द्वितीय स्थिति

निविदा शुल्क 100/-

निविदा प्रपत्र

सेवामें,

वित्त नियंत्रक,

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
उदयपुर।

विषय:- वर्ष 2009 एवं उसके पश्चात् के मॉडल तथा 50,000 कि.मी. से कम उपयोग की गई इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार आवश्यकता के आधार पर (As & when required basis) अल्प समय (10 घण्टे) के लिये वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर किराये पर उपलब्ध कराने सम्बंध में।

प्रसंग:-आपकी निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौविदि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक निविदा सूचना के क्रम में मेरे/हमारे द्वारा निविदा शुल्क 100/-नकद रसीद संख्यादिनांकद्वारा अथवा डी.डी पे ऑर्डर क्रमांक दिनांक द्वारा जमा करा दिये गये है। मैं/हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौविदि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 में वर्णित सभी शर्तों एवं इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से सहमत हूँ/हैं। इन शर्तों का मैंने/हमने ध्यान से अवलोकन एवं मनन कर लिया है। सहमति स्वरूप मैंने/हमने प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। इस प्रारूप के साथ अमानत राशि **रूपये 4000/-** अक्षरे चार हजार रूपये का बैंकर चैक संख्या दिनांकजारी कर्ता बैंक का नाम वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित है। इस निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र भी संलग्न है।

1. निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना (परिशिष्ट 'अ' के अनुसार)
2. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति।
3. निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन मैं/हम इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार के लिये निम्नानुसार निविदा राशि प्रस्तावित करता हूँ/करते है।

वाहन का मेक	मॉडल	प्रति दिन 10 घण्टे व न्यूनतम 100 कि.मी. संचालन के लिये प्रस्तावित एक मुश्त राशि (प्रतिफल राशि-रूपये में)	100 कि.मी. से अधिक वाहन के चलने पर प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिये दर (राशि-रूपये में)
इंडिका (Non-AC)			
इंडिका (AC)			
टवेरा (Non-AC)			
टवेरा (AC)			
इनोवा (Non-AC)			
इनोवा (AC)			

यदि वाहन निर्धारित न्यूनतम दूरी से भी कम दूरी तय करता है तो विश्वविद्यालय को उक्त न्यूनतम एक मुश्त राशि (प्रस्ताव 3 में प्रस्तावानुसार) का भुगतान करना होगा अर्थात् प्रथम 100 किलोमीटर के लिये पृथक से मेरी/हमारी अन्य कोई मांग नहीं है।

भवदीय

- संलग्न:-
1. निविदा की शर्तें व वाहन की संक्षिप्त सूचना परिशिष्ट "अ" के अनुसार
 2. अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट

स्थान:-

दिनांक:-

निविदा की शर्तें

निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 के क्रम में इंडिका, टवेरा व इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार आवश्यकतानुसार (As & when required basis) के आधार अल्प समय के लिये किराये पर उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

1. वाहन का वैध टैक्सी परमीट (राजस्थान परिवहन अधिनियम (Motor Vehicle act) के अन्तर्गत टैक्सी का अनुज्ञापत्र) व चालक के पास वैध चालन अनुज्ञापत्र (**Driving License**) होना अनिवार्य है।
2. कार का मॉडल 2009 या उसके पश्चात् का होना चाहिए।
3. अनुबंध, वार्षिक अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। अनुबंध की प्रभावी अवधि, निविदा स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
4. **न्यूनतम अवधि 10 घंटे की है। इस अवधि की गणना उपयोगकर्ता (Users) के निर्दिष्ट स्थान पर वाहन की पहुंचने से प्रारम्भ होगी।**
5. निविदादाता द्वारा प्रतिदिन के आधार पर (न्यूनतम 10 घण्टे) आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त प्रतिफल की राशि (प्रतिदिन 100 किमी के न्यूनतम संचालन के लिये) निविदा प्रपत्र में निर्धारित तालिका में प्रस्तावित करना होगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि **दिनांक 02.06.2011 को 10.00 बजे** तक एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण कर जमा कराने की तिथि **02.06.2011 को 11.00 बजे** तक होगी जिसे उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **11.30 बजे** खोली जायेगी। **निविदा प्रपत्र का (वापसी योग्य नहीं) शुल्क रु. 100/-होगा।**
6. निविदा के लिये अमानत राशि रु. 4000/-अक्षरे रूपये चार हजार निर्धारित है जिसे निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त राशि का डी.डी अथवा बैंकर चैक **वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर** के पक्ष में उदयपुर में देय संलग्न किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि, धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी। मासिक दावे की सकल राशि में से 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में कटौती की जायेगी, जिसे अनुबंध अवधि में संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में, अनुबंध अवधि के पश्चात् लौटाई जायेगी।
7. वाहन चालक को देय समस्त वेतन-भत्ते व अन्य परिलाभ, वाहन की मरम्मत, रखरखाव व्यय, रोड़ टैक्स (राजस्थान राज्य), डिजल/पेट्रोल, ऑयल व समस्त व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा। अन्य शब्दों में वाहन से सम्बंधित समस्त व्यय सफल निविदादाता को वहन करना होगा लेकिन टोल टेक्स का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

8. नियमों के अन्तर्गत देय सेवाकर विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से भुगतान योग्य होगा। सफल सेवा प्रदायक द्वारा सेवा कर के भुगतान का प्रमाण (चालान आदि की सत्यापित प्रति) प्रस्तुत करने पर सेवा कर का पुर्नभरण किया जायेगा।

Cont.....2

- : 2 :-

9. यदि वाहन 10 घंटे में 100 कि.मी. से कम चलता है तो भी न्यूनतम अनुमोदित राशि का भुगतान देय होगा।
10. इंडिका, टवेरा व इनोवा कार की निविदा का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से पृथक-पृथक होगा।
11. तकनीकी खराबी/सेवा में दोष यथा चालक की अनुपस्थिति आदि के कारण हुये व्यर्थ समय को समय की गणना में समाविष्ट नहीं माना जावेगा।
12. निविदादाता को न्यूनतम 100 किलोमीटर प्रतिदिन (10 घन्टे की अवधि) आधार पर संचालन गारंटी को ध्यान में रखते हुए वाहन किराये की सेवा के प्रतिफल में निविदा प्रपत्र के वर्णित तालिका में एक मुश्त राशि प्रस्तावित करनी होगी।
13. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।
14. विशिष्ट परिस्थितियों में एवं/अथवा सेवा में दोष महसूस होने पर विश्वविद्यालय को अनुबंध एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके लिये विश्वविद्यालय से निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति अधिकार नहीं होगा।
15. सफल निविदादाता का वाहन खराब होने की दशा में तुरंत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर हुए अतिरिक्त व्यय का भार सफल निविदादाता को वहन करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था में असफल होने पर प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/-की क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता को करनी होगी।
16. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस एवं वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना वांछनीय होगा।
17. उपयुक्त वाहन समय की पाबन्दी व चालक की सेवाओं का सन्तोषजनक होना इस निविदा का सारतत्त्व (Essense) हैं। सेवा का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा व अन्तिम होगा।
18. वाहन के किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मांगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
19. वाहन में अधिकृत व्यक्ति ही यात्रा करेंगे तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को यात्रा करते हुए पाये जाने पर निविदादाता से प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पाँच सौ मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जायेगी। अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन में बैठाने/यात्रा करने पर उत्पन्न किसी जोखिम के प्रति विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
20. विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार, निदेशक अनुसंधान व अधिष्ठाताओं (उदयपुर मुख्यालय पर अवस्थित) व विश्वविद्यालय पूल अधिकारी के अनुरोध करने पर वाहन 2 घंटे में उपलब्ध कराना

आवश्यक होगा। सूचना लिखित/फोन पर प्रदान की जायेगी। सम्पर्क हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व दूरभाष (मोबाईल) उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

21. वाहन चालक की मुख्यालय से बाहर यात्रा के दौरान उसे किसी प्रकार का विश्राम भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
22. अनुबंध की अवधि में किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का निविदा की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

Cont.....3

- : 3 :-

23. वाहन का पूर्ण बीमा (काम्प्रिहेन्सिव) होना चाहिये। बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
24. निविदादाता को श्रम व वाहन अधिनियम (Motor Vehicle act) कानूनों की अक्षरशः पालना करनी होगी।
25. अनुबंध की शर्तों, नियमों के निर्वचन व आशय पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को भी मान्य होगा।
26. वाहन के चालान, हानि, किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
27. निविदादाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करेगा अर्थात् सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
28. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता को देय भुगतान पर नियमानुसार आय कर एवं अन्य प्रभावी कर की कटौती की जावेगी।
29. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध भी करना होगा। इस हेतु निर्धारित राशि का स्टाम्प कार्यालय में कार्यादेश के 7 दिवस में जमा कराकर अनुबंध निष्पादित कराना होगा।
30. वाहन में स्टेपनी व टूल बॉक्स रखना अनिवार्य होगा।
31. अनुमोदित सेवा प्रदायक से एक से अधिक कार किराये पर ली जा सकती है।
32. इस अनुबंध से सम्बंधित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

**हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील**

निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना

1. निविदादाता का नाम, पता व दूरभाष/मोबाईल संख्या

.....

2. वाहन का विवरण जिसका निविदादाता स्वामी है और जिसके आधार पर निविदा में दर अंकित की गई है।

रजिस्ट्रेशन नम्बर

मेक/मॉडल

रजिस्टर्ड स्वामी का नाम

.....

.....

.....

रजिस्ट्रेशन सम्बंधी दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम

दिनांक:

स्थान: उदयपुर

तृतीय स्थिति

निविदा शुल्क 100/-

निविदा प्रपत्र

सेवामें,

वित्त नियंत्रक,

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
उदयपुर।

विषय:- वर्ष 2009 एवं उसके पश्चात् के मॉडल तथा 50,000 कि.मी. से कम उपयोग की गई इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार आवश्यकता के आधार पर (As & when required basis) प्रतिदिन (24 घन्टे) के लिये वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर किराये पर उपलब्ध कराने सम्बंध में।

प्रसंग:-आपकी निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौविदि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक निविदा सूचना के क्रम में मेरे/हमारे द्वारा निविदा शुल्क 100/-नकद रसीद संख्यादिनांक द्वारा अथवा डी.डी पे ऑर्डर क्रमांक दिनांक द्वारा जमा करा दिये गये है। मैं/हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौविदि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 में वर्णित सभी शर्तों एवं इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से सहमत हूँ/है। इन शर्तों का मैंने/हमने ध्यान से अवलोकन एवं मनन कर लिया है। सहमति स्वरूप मैंने/हमने प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। इस प्रारूप के साथ अमानत राशि **रुपये 4000/-** अक्षरे चार हजार रुपये का बैंकर चैक संख्या दिनांक जारी कर्ता बैंक का नाम **वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित है। इस निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र भी संलग्न है।

1. निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना (परिशिष्ट 'अ' के अनुसार)
2. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति।
3. निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन मैं/हम इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार के लिये निम्नानुसार निविदा राशि प्रस्तावित करता हूँ/करते है।

वाहन का मेक	मॉडल	प्रति दिन 24 घन्टे व न्यूनतम 300 कि.मी. संचालन के लिये प्रस्तावित एक मुश्त राशि (प्रतिफल राशि-रुपये में)	300 कि.मी. से अधिक वाहन के चलने पर प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिये दर (राशि-रुपये में)
इंडिका (Non-AC)			
इंडिका (AC)			
टवेरा (Non-AC)			
टवेरा (AC)			
इनोवा (Non-AC)			
इनोवा (AC)			

यदि वाहन निर्धारित न्यूनतम दूरी से भी कम दूरी तय करता है तो विश्वविद्यालय को उक्त न्यूनतम एक मुश्त राशि (प्रस्ताव 3 में प्रस्तावानुसार) का भुगतान करना होगा अर्थात् प्रथम 300 किलोमीटर के लिये पृथक से मेरी/हमारी अन्य कोई मांग नहीं है।

भवदीय

- संलग्न:-
1. निविदा की शर्तें व वाहन की संक्षिप्त सूचना परिशिष्ट "अ" के अनुसार
 2. अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट

स्थान:-

दिनांक:-

निविदा की शर्तें

निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 के क्रम में इंडिका, टवेरा व इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार आवश्यकतानुसार (As & when required basis) के आधार प्रतिदिन (24 घण्टे) के लिये किराये पर उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

1. वाहन का वैध टैक्सी परमीट (राजस्थान परिवहन अधिनियम (Motor Vehicle act) के अन्तर्गत टैक्सी का अनुज्ञापत्र) व चालक के पास वैध चालन अनुज्ञापत्र (**Driving License**) होना अनिवार्य है।
2. कार का मॉडल 2009 या उसके पश्चात् का होना चाहिए।
3. अनुबंध, वार्षिक अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। अनुबंध की प्रभावी अवधि, निविदा स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
4. **न्यूनतम अवधि 24 घंटे की है। इस अवधि की गणना उपयोगकर्ता (Users) के निर्दिष्ट स्थान पर वाहन की पहुंचने से प्रारम्भ होगी।**
5. निविदादाता द्वारा प्रतिदिन के आधार पर (न्यूनतम 24 घण्टे) आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त प्रतिफल की राशि (प्रतिदिन 300 किमी के न्यूनतम संचालन के लिये) निविदा प्रपत्र में निर्धारित तालिका में प्रस्तावित करना होगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि **दिनांक 02.06.2011 को 10.00 बजे** तक एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण कर जमा कराने की तिथि **02.06.2011 को 11.00 बजे** तक होगी जिसे उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **11.30 बजे** खोली जायेगी। **निविदा प्रपत्र का (वापसी योग्य नहीं) शुल्क रु. 100/-होगा।**
6. निविदा के लिये अमानत राशि रु. 4000/-अक्षरे रूपये चार हजार निर्धारित है जिसे निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त राशि का डी.डी अथवा बैंकर चैक **वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर** के पक्ष में उदयपुर में देय संलग्न किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि, धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी। मासिक दावे की सकल राशि में से 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में कटौती की जायेगी, जिसे अनुबंध अवधि में संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में, अनुबंध अवधि के पश्चात् लौटाई जायेगी।
7. वाहन चालक को देय समस्त वेतन-भत्ते व अन्य परिलाभ, वाहन की मरम्मत, रखरखाव व्यय, रोड़ टैक्स (राजस्थान राज्य), डिजल/पेट्रोल, ऑयल व समस्त व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा। अन्य शब्दों में वाहन से सम्बंधित समस्त व्यय सफल निविदादाता को वहन करना होगा लेकिन टोल टेक्स का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

8. नियमों के अन्तर्गत देय सेवाकर विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से भुगतान योग्य होगा। सफल सेवा प्रदायक द्वारा सेवा कर के भुगतान का प्रमाण (चालान आदि की सत्यापित प्रति) प्रस्तुत करने पर सेवा कर का पुर्नभरण किया जायेगा।

Cont.....2

- : 2 :-

9. यदि वाहन 24 घंटे में 300 कि.मी. से कम चलता है तो भी न्यूनतम अनुमोदित राशि का भुगतान देय होगा।
10. इंडिका, टवेरा व इनोवा कार की निविदा का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से पृथक-पृथक होगा।
11. तकनीकी खराबी/सेवा में दोष यथा चालक की अनुपस्थिति आदि के कारण हुये व्यर्थ समय को समय की गणना में समाविष्ट नहीं माना जावेगा।
12. निविदादाता को न्यूनतम 300 किलोमीटर प्रतिदिन (24 घन्टे की अवधि) आधार पर संचालन गारंटी को ध्यान में रखते हुए वाहन किराये की सेवा के प्रतिफल में निविदा प्रपत्र के वर्णित तालिका में एक मुश्त राशि प्रस्तावित करनी होगी।
13. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।
14. विशिष्ट परिस्थितियों में एवं/अथवा सेवा में दोष महसूस होने पर विश्वविद्यालय को अनुबंध एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके लिये विश्वविद्यालय से निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति अधिकार नहीं होगा।
15. सफल निविदादाता का वाहन खराब होने की दशा में तुरंत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर हुए अतिरिक्त व्यय का भार सफल निविदादाता को वहन करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था में असफल होने पर प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/-की क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता को करनी होगी।
16. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस एवं वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना वांछनीय होगा।
17. उपयुक्त वाहन समय की पाबन्दी व चालक की सेवाओं का सन्तोषजनक होना इस निविदा का सारतत्व (Essense) हैं। सेवा का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा व अन्तिम होगा।
18. वाहन के किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मांगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
19. वाहन में अधिकृत व्यक्ति ही यात्रा करेंगे तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को यात्रा करते हुए पाये जाने पर निविदादाता से प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पाँच सौ मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जायेगी। अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन में बैठाने/यात्रा करने पर उत्पन्न किसी जोखिम के प्रति विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
20. विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार, निदेशक अनुसंधान व अधिष्ठाताओं (उदयपुर मुख्यालय पर अवस्थित) व विश्वविद्यालय पूल अधिकारी के अनुरोध करने पर वाहन 2 घंटे में उपलब्ध कराना

आवश्यक होगा। सूचना लिखित/फोन पर प्रदान की जायेगी। सम्पर्क हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व दूरभाष (मोबाईल) उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

21. वाहन चालक की मुख्यालय से बाहर यात्रा के दौरान उसे किसी प्रकार का विश्राम भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
22. अनुबंध की अवधि में किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का निविदा की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

Cont.....3

- : 3 :-

23. वाहन का पूर्ण बीमा (काम्प्रिहेन्सिव) होना चाहिये। बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
24. निविदादाता को श्रम व वाहन अधिनियम (Motor Vehicle act) कानूनों की अक्षरशः पालना करनी होगी।
25. अनुबंध की शर्तों, नियमों के निर्वचन व आशय पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को भी मान्य होगा।
26. वाहन के चालान, हानि, किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
27. निविदादाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करेगा अर्थात् सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
28. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता को देय भुगतान पर नियमानुसार आय कर एवं अन्य प्रभावी कर की कटौती की जावेगी।
29. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध भी करना होगा। इस हेतु निर्धारित राशि का स्टाम्प कार्यालय में कार्यादेश के 7 दिवस में जमा कराकर अनुबंध निष्पादित कराना होगा।
30. वाहन में स्टेपनी व टूल बॉक्स रखना अनिवार्य होगा।
31. अनुमोदित सेवा प्रदायक से एक से अधिक कार किराये पर ली जा सकती है।
32. इस अनुबंध से सम्बंधित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

**हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील**

निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना

1. निविदादाता का नाम, पता व दूरभाष/मोबाईल संख्या

.....

2. वाहन का विवरण जिसका निविदादाता स्वामी है और जिसके आधार पर निविदा में दर अंकित की गई है।

रजिस्ट्रेशन नम्बर

मेक/मॉडल

रजिस्टर्ड स्वामी का नाम

.....

.....

.....

रजिस्ट्रेशन सम्बंधी दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम

दिनांक:

स्थान: उदयपुर

चतुर्थ स्थिति (1500 कि.मी.)

निविदा शुल्क 100/-

निविदा प्रपत्र

सेवामें,

वित्त नियंत्रक,

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
उदयपुर।

विषय:- वर्ष 2009 एवं उसके पश्चात् के मॉडल तथा 50,000 कि.मी. से कम उपयोग की गई इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार वार्षिक (12 माह) के लिये वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर किराये पर उपलब्ध कराने सम्बंध में।

प्रसंग:- आपकी निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक निविदा सूचना के क्रम में मेरे/हमारे द्वारा निविदा शुल्क 100/-नकद रसीद संख्यादिनांकद्वारा अथवा डी.डी पे ऑर्डर क्रमांक दिनांक द्वारा जमा करा दिये गये है। मैं/हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 में वर्णित सभी शर्तों एवं इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से सहमत हूँ/है। इन शर्तों का मैंने/हमने ध्यान से अवलोकन एवं मनन कर लिया है। सहमति स्वरूप मैंने/हमने प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। इस प्रारूप के साथ अमानत राशि **रूपये 5000/-** अक्षरे पाँच हजार रुपये का बैंकर चैक संख्या दिनांक जारी कर्ता बैंक का नाम **वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित है। इस निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र भी संलग्न है।

1. निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना (परिशिष्ट 'अ' के अनुसार)
2. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति।
3. निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन मैं/हम इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार के लिये निम्नानुसार निविदा राशि प्रस्तावित करता हूँ/करते है।

वाहन का मेक	मॉडल	प्रतिमाह न्यूनतम 1500 कि.मी. संचालन के लिये प्रस्तावित एक मुश्त राशि (प्रतिफल राशि-रूपये में)	1500 कि.मी. से अधिक वाहन के चलने पर प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिये दर (राशि-रूपये में)
इंडिका (Non-AC)			
इंडिका (AC)			
टवेरा (Non-AC)			
टवेरा (AC)			
इनोवा (Non-AC)			
इनोवा (AC)			

यदि वाहन निर्धारित न्यूनतम दूरी से भी कम दूरी तय करता है तो विश्वविद्यालय को उक्त न्यूनतम एक मुश्त राशि (प्रस्ताव 3 में प्रस्तावानुसार) का भुगतान करना होगा अर्थात् 1500 किलोमीटर के लिये पृथक से मेरी/हमारी अन्य कोई मांग नहीं है।

भवदीय

- संलग्न:-
1. निविदा की शर्तें व वाहन की संक्षिप्त सूचना परिशिष्ट "अ" के अनुसार
 2. अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट

स्थान:-
दिनांक:-

निविदा की शर्तें

निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 के क्रम में इंडिका, टवेरा व इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार वार्षिक (12 माह) के लिये किराये पर उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

1. वाहन का वैध टैक्सी परमीट (राजस्थान परिवहन अधिनियम (Motor Vehicle act) के अन्तर्गत टैक्सी का अनुज्ञापत्र) व चालक के पास वैध चालन अनुज्ञापत्र (**Driving License**) होना अनिवार्य है।
2. कार का मॉडल 2009 या उसके पश्चात् का होना चाहिए।
3. अनुबंध, वार्षिक अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। अनुबंध की प्रभावी अवधि, निविदा स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
4. न्यूनतम अवधि 24 घंटे की है। इस अवधि की गणना उपयोगकर्ता (**Users**) के निर्दिष्ट स्थान पर वाहन की पहुंचने से प्रारम्भ होगी।
5. निविदादाता द्वारा वार्षिक आधार पर आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त प्रतिफल की राशि (प्रतिमाह 1500 किमी के न्यूनतम संचालन के लिये) निविदा प्रपत्र में निर्धारित तालिका में प्रस्तावित करना होगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.06.2011 को 10.00 बजे तक एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण कर जमा कराने की तिथि 02.06.2011 को 11.00 बजे तक होगी जिसे उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 11.30 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का (वापसी योग्य नहीं) शुल्क **रु. 100/-**होगा।
6. निविदा के लिये अमानत राशि रु. 5000/-अक्षरे रूपये पाँच हजार निर्धारित है जिसे निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त राशि का डी.डी अथवा बैंकर चैक **वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर** के पक्ष में उदयपुर में देय संलग्न किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि, धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी। मासिक दावे की सकल राशि में से 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में कटौती की जायेगी, जिसे अनुबंध अवधि में संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में, अनुबंध अवधि के पश्चात् लौटाई जायेगी।
7. वाहन चालक को देय समस्त वेतन-भत्ते व अन्य परिलाभ, वाहन की मरम्मत, रखरखाव व्यय, रोड़ टैक्स (राजस्थान राज्य), डिजल/पेट्रोल, ऑयल व समस्त व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा। अन्य शब्दों में वाहन से सम्बंधित समस्त व्यय सफल निविदादाता को वहन करना होगा लेकिन टोल टेक्स का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

8. नियमों के अन्तर्गत देय सेवाकर विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से भुगतान योग्य होगा। सफल सेवा प्रदायक द्वारा सेवा कर के भुगतान का प्रमाण (चालान आदि की सत्यापित प्रति) प्रस्तुत करने पर सेवा कर का पुर्नभरण किया जायेगा।

Cont.....2

- : 2 :-

9. यदि वाहन प्रतिमाह 1500 कि.मी. से कम चलता है तो भी न्यूनतम अनुमोदित राशि का भुगतान देय होगा।
10. इंडिका, टवेरा व इनोवा कार की निविदा का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से पृथक-पृथक होगा।
11. तकनीकी खराबी/सेवा में दोष यथा चालक की अनुपस्थिति आदि के कारण हुये व्यर्थ समय को समय की गणना में समाविष्ट नहीं माना जावेगा।
12. निविदादाता को न्यूनतम 1500 किलोमीटर प्रतिमाह आधार पर संचालन गारंटी को ध्यान में रखते हुए वाहन किराये की सेवा के प्रतिफल में निविदा प्रपत्र के वर्णित तालिका में एक मुश्त राशि प्रस्तावित करनी होगी।
13. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।
14. विशिष्ट परिस्थितियों में एवं/अथवा सेवा में दोष महसूस होने पर विश्वविद्यालय को अनुबंध एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके लिये विश्वविद्यालय से निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति अधिकार नहीं होगा।
15. सफल निविदादाता का वाहन खराब होने की दशा में तुरंत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर हुए अतिरिक्त व्यय का भार सफल निविदादाता को वहन करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था में असफल होने पर प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/-की क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता को करनी होगी।
16. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस एवं वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना वांछनीय होगा।
17. उपयुक्त वाहन समय की पाबन्दी व चालक की सेवाओं का सन्तोषजनक होना इस निविदा का सारतत्व (Essense) हैं। सेवा का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा व अन्तिम होगा।
18. वाहन के किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मांगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
19. वाहन में अधिकृत व्यक्ति ही यात्रा करेंगे तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को यात्रा करते हुए पाये जाने पर निविदादाता से प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पाँच सौ मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जायेगी। अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन में बैठाने/यात्रा करने पर उत्पन्न किसी जोखिम के प्रति विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
20. विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार, निदेशक अनुसंधान व अधिष्ठाताओं (उदयपुर मुख्यालय पर अवस्थित) व विश्वविद्यालय पूल अधिकारी के अनुरोध करने पर वाहन 2 घंटे में उपलब्ध कराना

आवश्यक होगा। सूचना लिखित/फोन पर प्रदान की जायेगी। सम्पर्क हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व दूरभाष (मोबाईल) उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

21. वाहन चालक की मुख्यालय से बाहर यात्रा के दौरान उसे किसी प्रकार का विश्राम भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
22. अनुबंध की अवधि में किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का निविदा की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

Cont.....3

- : 3 :-

23. वाहन का पूर्ण बीमा (काम्प्रिहेन्सिव) होना चाहिये। बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
24. निविदादाता को श्रम व वाहन अधिनियम (Motor Vehicle act) कानूनों की अक्षरशः पालना करनी होगी।
25. अनुबंध की शर्तों, नियमों के निर्वचन व आशय पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को भी मान्य होगा।
26. वाहन के चालान, हानि, किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
27. निविदादाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करेगा अर्थात् सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
28. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता को देय भुगतान पर नियमानुसार आय कर एवं अन्य प्रभावी कर की कटौती की जावेगी।
29. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध भी करना होगा। इस हेतु निर्धारित राशि का स्टाम्प कार्यालय में कार्यादेश के 7 दिवस में जमा कराकर अनुबंध निष्पादित कराना होगा।
30. वाहन में स्टेपनी व टूल बॉक्स रखना अनिवार्य होगा।
31. अनुमोदित सेवा प्रदायक से एक से अधिक कार किराये पर ली जा सकती है।
32. इस अनुबंध से सम्बंधित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

**हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील**

निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना

1. निविदादाता का नाम, पता व दूरभाष/मोबाईल संख्या

.....

2. वाहन का विवरण जिसका निविदादाता स्वामी है और जिसके आधार पर निविदा में दर अंकित की गई है।

रजिस्ट्रेशन नम्बर

मेक/मॉडल

रजिस्टर्ड स्वामी का नाम

.....

.....

.....

रजिस्ट्रेशन सम्बंधी दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम

दिनांक:

स्थान: उदयपुर

पंचम स्थिति (2500 कि.मी.)

निविदा शुल्क 100/-

निविदा प्रपत्र

सेवामें,

वित्त नियंत्रक,

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
उदयपुर।

विषय:- वर्ष 2009 एवं उसके पश्चात् के मॉडल तथा 50,000 कि.मी. से कम उपयोग की गई इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार वार्षिक (12 माह) के लिये वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर किराये पर उपलब्ध कराने सम्बंध में।

प्रसंग:- आपकी निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक निविदा सूचना के क्रम में मेरे/हमारे द्वारा निविदा शुल्क 100/-नकद रसीद संख्यादिनांकद्वारा अथवा डी.डी पे ऑर्डर क्रमांक दिनांक द्वारा जमा करा दिये गये है। मैं/हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 में वर्णित सभी शर्तों एवं इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से सहमत हूँ/है। इन शर्तों का मैंने/हमने ध्यान से अवलोकन एवं मनन कर लिया है। सहमति स्वरूप मैंने/हमने प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। इस प्रारूप के साथ अमानत राशि **रुपये 5000/-** अक्षरे पाँच हजार रुपये का बैंकर चैक संख्या दिनांक जारी कर्ता बैंक का नाम **वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित है। इस निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र भी संलग्न है।

1. निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना (परिशिष्ट 'अ' के अनुसार)
2. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति।
3. निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन मैं/हम इंडिका, टवेरा, इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार के लिये निम्नानुसार निविदा राशि प्रस्तावित करता हूँ/करते है।

वाहन का मेक	मॉडल	प्रतिमाह न्यूनतम 2500 कि.मी. संचालन के लिये प्रस्तावित एक मुश्त राशि (प्रतिफल राशि-रुपये में)	2500 कि.मी. से अधिक वाहन के चलने पर प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिये दर (राशि-रुपये में)
इंडिका (Non-AC)			
इंडिका (AC)			
टवेरा (Non-AC)			
टवेरा (AC)			
इनोवा (Non-AC)			
इनोवा (AC)			

यदि वाहन निर्धारित न्यूनतम दूरी से भी कम दूरी तय करता है तो विश्वविद्यालय को उक्त न्यूनतम एक मुश्त राशि (प्रस्ताव 3 में प्रस्तावानुसार) का भुगतान करना होगा अर्थात् 2500 किलोमीटर के लिये पृथक से मेरी/हमारी अन्य कोई मांग नहीं है।

भवदीय

- संलग्न:-
1. निविदा की शर्तें व वाहन की संक्षिप्त सूचना परिशिष्ट "अ" के अनुसार
 2. अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट

स्थान:—
दिनांक:—

निविदा की शर्तें

निविदा सूचना क्रमांक एफ. 68/मप्रकृप्रौवि/निविदा/2011/137 दिनांक 10.05.2011 के क्रम में इंडिका, टवेरा व इनोवा मेक (Non-AC/AC) की कार वार्षिक (12 माह) के लिये किराये पर उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

1. वाहन का वैध टैक्सी परमीट (राजस्थान परिवहन अधिनियम (Motor Vehicle act) के अन्तर्गत टैक्सी का अनुज्ञापत्र) व चालक के पास वैध चालन अनुज्ञापत्र (**Driving License**) होना अनिवार्य है।
2. कार का मॉडल 2009 या उसके पश्चात् का होना चाहिए।
3. अनुबंध, वार्षिक अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। अनुबंध की प्रभावी अवधि, निविदा स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
4. न्यूनतम अवधि 24 घंटे की है। इस अवधि की गणना उपयोगकर्ता (**Users**) के निर्दिष्ट स्थान पर वाहन की पहुंचने से प्रारम्भ होगी।
5. निविदादाता द्वारा वार्षिक आधार पर आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त प्रतिफल की राशि (प्रतिमाह 2500 किमी के न्यूनतम संचालन के लिये) निविदा प्रपत्र में निर्धारित तालिका में प्रस्तावित करना होगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.06.2011 को 10.00 बजे तक एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण कर जमा कराने की तिथि 02.06.2011 को 11.00 बजे तक होगी जिसे उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 11.30 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का (वापसी योग्य नहीं) शुल्क **रु. 100/-**होगा।
6. निविदा के लिये अमानत राशि रु. 5000/-अक्षरे रूपये पाँच हजार निर्धारित है जिसे निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त राशि का डी.डी अथवा बैंकर चैक **वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर** के पक्ष में उदयपुर में देय संलग्न किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि, धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी। मासिक दावे की सकल राशि में से 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में कटौती की जायेगी, जिसे अनुबंध अवधि में संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में, अनुबंध अवधि के पश्चात् लौटाई जायेगी।
7. वाहन चालक को देय समस्त वेतन-भत्ते व अन्य परिलाभ, वाहन की मरम्मत, रखरखाव व्यय, रोड़ टैक्स (राजस्थान राज्य), डिजल/पेट्रोल, ऑयल व समस्त व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा। अन्य शब्दों में वाहन से सम्बंधित समस्त व्यय सफल निविदादाता को वहन करना होगा लेकिन टोल टेक्स का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

8. नियमों के अन्तर्गत देय सेवाकर विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से भुगतान योग्य होगा। सफल सेवा प्रदायक द्वारा सेवा कर के भुगतान का प्रमाण (चालान आदि की सत्यापित प्रति) प्रस्तुत करने पर सेवा कर का पुर्नभरण किया जायेगा।

Cont.....2

- : 2 :-

9. यदि वाहन प्रतिमाह 2500 कि.मी. से कम चलता है तो भी न्यूनतम अनुमोदित राशि का भुगतान देय होगा।
10. इंडिका, टवेरा व इनोवा कार की निविदा का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से पृथक-पृथक होगा।
11. तकनीकी खराबी/सेवा में दोष यथा चालक की अनुपस्थिति आदि के कारण हुये व्यर्थ समय को समय की गणना में समाविष्ट नहीं माना जावेगा।
12. निविदादाता को न्यूनतम 2500 किलोमीटर प्रतिमाह आधार पर संचालन गारंटी को ध्यान में रखते हुए वाहन किराये की सेवा के प्रतिफल में निविदा प्रपत्र के वर्णित तालिका में एक मुश्त राशि प्रस्तावित करनी होगी।
13. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।
14. विशिष्ट परिस्थितियों में एवं/अथवा सेवा में दोष महसूस होने पर विश्वविद्यालय को अनुबंध एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके लिये विश्वविद्यालय से निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति अधिकार नहीं होगा।
15. सफल निविदादाता का वाहन खराब होने की दशा में तुरंत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर हुए अतिरिक्त व्यय का भार सफल निविदादाता को वहन करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था में असफल होने पर प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/-की क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता को करनी होगी।
16. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस एवं वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना वांछनीय होगा।
17. उपयुक्त वाहन समय की पाबन्दी व चालक की सेवाओं का सन्तोषजनक होना इस निविदा का सारतत्त्व (Essense) हैं। सेवा का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा व अन्तिम होगा।
18. वाहन के किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मांगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
19. वाहन में अधिकृत व्यक्ति ही यात्रा करेंगे तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को यात्रा करते हुए पाये जाने पर निविदादाता से प्रत्येक अवसर पर रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पाँच सौ मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जायेगी। अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन में बैठाने/यात्रा करने पर उत्पन्न किसी जोखिम के प्रति विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
20. विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार, निदेशक अनुसंधान व अधिष्ठाताओं (उदयपुर मुख्यालय पर अवस्थित) व विश्वविद्यालय पूल अधिकारी के अनुरोध करने पर वाहन 2 घंटे में उपलब्ध कराना

आवश्यक होगा। सूचना लिखित/फोन पर प्रदान की जायेगी। सम्पर्क हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व दूरभाष (मोबाईल) उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

21. वाहन चालक की मुख्यालय से बाहर यात्रा के दौरान उसे किसी प्रकार का विश्राम भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
22. अनुबंध की अवधि में किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का निविदा की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

Cont.....3

- : 3 :-

23. वाहन का पूर्ण बीमा (काम्प्रिहेन्सिव) होना चाहिये। बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
24. निविदादाता को श्रम व वाहन अधिनियम (Motor Vehicle act) कानूनों की अक्षरशः पालना करनी होगी।
25. अनुबंध की शर्तों, नियमों के निर्वचन व आशय पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को भी मान्य होगा।
26. वाहन के चालान, हानि, किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
27. निविदादाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करेगा अर्थात् सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
28. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता को देय भुगतान पर नियमानुसार आय कर एवं अन्य प्रभावी कर की कटौती की जावेगी।
29. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध भी करना होगा। इस हेतु निर्धारित राशि का स्टाम्प कार्यालय में कार्यादेश के 7 दिवस में जमा कराकर अनुबंध निष्पादित कराना होगा।
30. वाहन में स्टेपनी व टूल बॉक्स रखना अनिवार्य होगा।
31. अनुमोदित सेवा प्रदायक से एक से अधिक कार किराये पर ली जा सकती है।
32. इस अनुबंध से सम्बंधित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

**हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील**

निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना

1. निविदादाता का नाम, पता व दूरभाष/मोबाईल संख्या

.....

2. वाहन का विवरण जिसका निविदादाता स्वामी है और जिसके आधार पर निविदा में दर अंकित की गई है।

रजिस्ट्रेशन नम्बर

मेक/मॉडल

रजिस्टर्ड स्वामी का नाम

.....

.....

.....

रजिस्ट्रेशन सम्बंधी दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम

दिनांक:

स्थान: उदयपुर

Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, UDAIPUR

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TENDER

NOTE:- Tenderers should carefully read these conditions and comply strictly while submitting their tenders. If a tenderer has any doubt regarding the interpretation of any of the conditions or specifications mentioned in the Tender Form/Notice, he should refer these to the Comptroller and obtain clarification before submitting the tender. Decision of University regarding the interpretation of the conditions and specifications shall be final and binding on the tenderer.

1. DEFINITIONS:

- (i) The term '**the contract**' shall mean the invitation to tender, the instructions to the tenderers, acceptance of tender hereinafter defined and those general conditions and special conditions related to the tender.
 - (ii) The term '**the contractor**' shall mean the person, firm, company or any body to whom the order for the supply is placed. In the case of person, it shall be deemed to include his successors, heir and legal representatives where the context so requires.
 - (iii) The term '**delivery**' shall mean delivery by the stipulated dates and the places specified in these conditions or special terms and conditions and/or supply order issued in this regard.
 - (iv) The term '**Central Stores Purchase Committee**' shall mean the Stores Purchase Committee constituted by the Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur.
2. The tenders should be sent to the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur under a Registered & Cover in a double envelope duly sealed and marked "Tender for.....(specify) due on..... so as to reach Comptroller office before the due date and time. If tenders are delivered by hand, a receipt should be obtained. Any tender received after prescribed time shall not be considered.
- The tenders will be opened onat..... before the Committee constituted for the purpose by the University in the office of the Comptroller or as specified in the NIT/special terms & conditions. Tenderers may be present in person or may authorize one representative to be present at the time of opening of the tenders.
3. Tenderer who is not registered under the Sales Tax Act prevalent in the State where his business is located shall not be eligible to participate in the tender. The Sales Tax Registration Number should be quoted and a Sales Tax Clearance

Certificate from the Commercial/Sales Tax Officer of the Circle concerned should be submitted without which the tender is liable to be rejected.

4. The tender should be filled in ink or typed. Tender filled by pencil shall not be considered.
5. (i) Rates must be written both in words and figures. If there is any variation in words & figures, the lower of the two shall be considered. There should be no erasure, alteration or overwriting in the tender. Where any alteration is made, it should be initialed with date by the tenderer failing which such tender may be rejected. No paper shall be detached from the tender document.
(ii) Rates must be quoted F.O.R. Destination at the Indentor Office or at specified places mentioned in the special terms & conditions and should include all charges and taxes except Central/Rajasthan Sales Tax/VAT. However, effective rate of tax at the time of filling of the tender be shown separately.
6. The tenderer is not expected to quote for more than one product where the specifications are fairly clear and not more than two in any case. If any tenderer will quote for more than two products, his offer may not be considered in respect of those items.
7. (i) Tenders shall be valid for a period of four months from the date of opening of the tender for the purpose of communicating the acceptance of tender offer.
(ii) After a tender has been accepted, the rates shall remain valid throughout the period for which tenders are invited.
(iii) If at any time during the period of contract the contractor reduces the sale price of Tendered items/equipment to any other purchaser at a price lower than the price approved under the contract, he shall forthwith inform such reduction or sale to the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur and the price payable under the contract for the Tendered items/equipment supplied after the date of coming into force of such reduction in sale shall stand correspondingly reduced. The successful tenderer has to furnish certificate to the effect that the provision of this clause has been fully complied with in respect of supplies made or billed for upto the date of certificate. The successful tenderers shall furnish this certificate to the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur at the beginning and at the end of each six monthly period thereafter during the currency of the contract and at the end of the contract period that they had complied with this clause of the contract. In case of breach of this condition the tenderer may be black listed and debarred in future.
8. (i) Tenderers shall specifically mention their capacity while submitting the tender.
 - a) Whether signing as a "Sole Proprietor".
 - b) Whether signing as a "Partner" of the firm.

- c) Whether signing as Secretary, Manager, Director etc. in the case of Companies Authorization of this effect be submitted with the tender.
- (ii) Tenderers should sign the tender form at the end of each page as a token of his acceptance of all the terms and conditions of the tender and should also sign the page on which rates are quoted.
 - (iii) If the tenderer resiles from his offers or add new terms & conditions after opening of the tender, his earnest money is liable to be forfeited.
 - (iv) The submission of more than one tender for the one and same category and under different names is prohibited. If it is discovered at any time that this conditions has been violated, the tender submitted by such firms shall be rejected or contract(s) shall be cancelled and the earnest money or security deposit(s) shall be forfeited.
9. The tender must be accompanied by Earnest Money as per the NIT, without which tender will not be considered and rejected outright. The earnest money shall be in form of Demand Draft/Banker Cheque of a scheduled bank.
10. Successful tenderer has to deposit security @ **5%** of the ordered value in addition to earnest money submitted at the time of tender. The amount is to be deposited in the office of indentor in the form of **Demand Draft, Bankers Cheque of a scheduled bank**. However, in lieu of Bank Draft/ Banker Cheque, Bank guarantee may be considered where the value of total ordered value exceeds Rs. 10.00 Lacs. Cheque and FDR are not acceptable for earnest money and security deposit.
11. It is emphasized that no tender will be considered without earnest money. Request for adjustment of previous security/earnest money or deduction of earnest money amount from pending bills shall not be considered.
12. The earnest money will be refunded to all unsuccessful tenderer after finalization of the tender. Earnest money of successful tenderer will be retained as security for the full period of contract and it will be refunded within six months after the expiry of contract period provided there is no complaint from any of the indenting (purchasing) officers.
13. Successful tenderers will have to execute an agreement in the prescribed form with Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur on a non-judicial stamp of Rs. 100/- which will be purchased by the successful Tenderer in his name and at his cost, within a period of seven days from the date on which the acceptance of the tender is communicated to him. The acceptance shall be treated as complete on positing the letter of acceptance in the post office (U.P.C.) by the University.
14. The contractor shall be responsible for goods being sufficiently and properly packed for transport by rail or road transport so as to ensure their being free from loss and breakage till the delivery of goods at the stores of the indenting (Purchasing) Officer. If the contractor so desires, he may insure valuable goods. For loss or damage, breakage, leakage or shortage discovered by the Intendor, the contractor shall be liable to make good the same at his own cost. The tenderer may

present himself or depute any of his representatives to watch any damage or loss discovered at the destination to verify the same if desired.

15. The successful tender shall not assign or sub-let the contract or any part thereof to any other party.
16. (i) Two sets of the samples of items of the various categories of tenders should be submitted on or before the due date and time of receipt of the tender, **WHERE SAMPLE IS REQUIRED** alongwith separate challan in duplicate in the proforma mentioned below, in the office of the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur. Without samples the tender will not be considered for such items. The samples submitted in the past shall not be considered. The samples sent should be of the same quantity as asked for.

FORM OF CHALLAN FOR SAMPLES

Name & address of firm.....

Tender Notice No.....category (if any)..... Due date.....

Item No.	Brief Description of the sample	Quality of samples	Number of samples submitted against each quality
----------	---------------------------------	--------------------	--

- (ii) Samples must be submitted fully sealed and should bear label with the particulars as mentioned below:-
- Name and full address of the firm.
 - Tender Notice No., Tender Code, Item Number and due date of the tender
 - Brief description of the sample.
- (iii) Samples without challans in triplicate will not be accepted.
- (iv) Outside firms are requested to send form of challan in duplicate alongwith the samples and Railway parcel should be sent as "Fully Paid Home Delivery Parcel", so that the samples are received in the office of the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur on or before the due date of receipt of tender. The consignee is in no way responsible for getting the parcels from the Railway Premises.
- (v) In case the samples are sent by Railway parcel the R.R. should be posted by Registered post to the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur.
- (vi) Approved samples will be retained by the University without payment of cost upto a period of six months after the expiry of contract period. The University shall not be responsible for any damage, wear and tear or loss during testing, examination etc. during the period these samples are retained. The samples shall be collected by the contractor on the expiry of stipulated period. The University shall in no way make arrangements to return the samples thereafter by Railway or other mode of transport even if the contractor agrees to pay the cost of such transport. The samples not collected within 3 months

after the stipulated date shall be forfeited by the University and no claim for their cost etc. shall be entertained.

- (vii) Samples of unapproved items shall be collected by the tenderer (if any) to the extent samples are not destroyed or consumed during testing and examination. The University shall in no way make arrangement to return the samples by Railway or other mode of transport.
 - (viii) Samples should be strictly according to the specification given in the tender form otherwise they will not be considered.
 - (ix) No change in marking on samples will be allowed after submission of the sample.
17. (i) All goods (approved supplies) must be sent freight paid. If goods are sent freight to pay, the freight together with an administration charge of 10% of the freight charges will be recovered from the supplier's bills.
- (ii) RRs or GRs should be sent under a Registered cover. No. RR or GR will be accepted if it is sent by V.P.P. or through bank.
 - (iii) Each bale or package shall contain a packing note quoting the acceptance order or supply order no. date and details of contents.
 - (iv) In case the supply is called for by the Purchasing Officer by Railway Passenger train, half of the Railway Freight will be borne by the Purchasing Officer.
 - (v) Payment for the supply shall be due and payable by the Purchasing Officer to whom supply is made when the goods are delivered strictly in accordance with the supply order and is found to be having required standard quality or tallys with the sample.
 - (vi) All the goods supplied should be of the best quality as per the specification, trade mark laid down for them and in strict accordance with the approved standard samples. The decision of the Purchasing Officer of University shall be final as to the quality of the goods and binding upon the approved supplier. In case, any of the articles supplied are not approved these shall be liable to be rejected and any expenses incurred or loss caused the University or to the supplier as a result of rejection of supplies, shall be entirely on approved suppliers account.
 - (vii) The rejected articles must be removed by the tenderer, from the destination where they lie within a period of 30 days from the date of rejection notice. The officials will take reasonable care of such materials but will not be responsible for any loss or damage that may occur to these articles while it is on their premises.
18. (i) The material ordered will have to be supplied within a period as specified or of 4 weeks from the receipt of supply order. The material will have to be delivered at the Premises of Indenting Officer at the cost & risk of approved supplier. If the ordered goods are not supplied in the stipulated

period, the intending officers may extend the time of delivery with liquidated damages as per general terms and conditions.

The rate of liquidated damages for delayed supply are as under:-

S.No.	Period of delay	Rate of liquidated damages on the value of the stores/equipments failed to supply in the prescribed delivery period
1.	Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period	2.5%
2.	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period	5.0%
3.	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period	7.5%
4.	Delay exceeding three fourth but not exceeding the period equal to the prescribed delivery period	10%

However, if the reason for the delay is beyond the control of the approved supplier, the issue may be referred through Intending Officer to the University for granting extension without liquidated damages. The approved supplier has to ensure that the ordered goods/items have been delivered at FOR destination i.e. at the office of intending officer or at the place mentioned in supply order. Approved supplier is also responsible for proper packaging and mode of requisite transport. Packaging cost, transportation cost and transit risk (upto delivery) is to be borne by the approved supplier. For valuable goods insurance and other charges are also to be borne by the approved supplier.

- (ii) The supply against an order marked **URGENT** will be made immediately and will be completed in full by the contractor within 30 days or time indicated whichever is less from the date of issue of order.
- (iii) In case the supply is not made according to the supply order in full within a period specified from the date of order, the earnest money will be forfeited.
- (iv) When the tenderer is unable to complete the supply within the specified period or the extended period (when supply period is extended) the Purchasing Officer shall be entitled to purchase the goods from open market at the risk and cost of the approved supplier without any notice to the tenderer. The goods in full or any part thereof which the tenderer has failed to supply, the tenderer shall be liable to pay the loss or damage which the Purchasing Officer may suffer by reasons of such failures on the part of tenderer. But the tenderer shall not be entitled to any gain on such purchase made against default. The recovery of such loss or damage shall be made from any sums payable to the tenderer under this or any other contract within the University. If recovery is not possible from the bill and tenderer fails to pay the loss or damage within one month of the demand, the recovery shall be

made under the Rajasthan Public Demand Recovery Act, 1952 or any other law for the time being in force.

While making the risk purchasing the Purchasing Officer may exercise his own discretion. In all cases, where orders are cancelled due to non-supply of goods, it will be treated as a breach of the contract and the Purchasing Officer shall take action accordingly. In all such cases tenderer will be black listed & debarred from future dealing with the University.

Note: It is clarified that Purchasing Officer may resort to risk purchase without granting any extension as provided in Condition No. 18 (i)

- (v) When the supplier is unable to complete the supply within the specified or extended period, the University shall forfeit the Earnest Money/Security Money in full or in part as it may deem fit.

When the Earnest Money/Security Money in full or in part is proposed to be forfeited, a show cause notice for a period of 10 days will be given to the supplier for not making the supplies in time and why not the Earnest Money/Security Money in full or part thereof as specified in the notice be forfeited.

- 19 (i) The quantities for the various items in the tender are approximate and subject to variation. The supplies will have to be made according to requirements as and when supply orders are placed throughout the contract period.
- (ii) If supply orders are placed in excess of the quantities shown in the tender form, the contractor will be bound to meet the required excess supply upto 50% of the tendered quantity besides that notified in the tender on the same rates and conditions. If the contractor fails to do so, the security deposit shall be forfeited & ban on future business shall be imposed. If the supplier does not communicate within 7 days of the receipt of the supply order for the excess quantity, it will be presumed that the supplier agrees to supply the ordered quantity on the approved rates.
- (iii) If the purchases of the items approved are not made at all or purchases are made for lesser quantity than that indicated in the tender, the supplier will not be entitled to claim any compensation whatsoever on this account.
- 20. (i) All articles supplied shall strictly conform to the specifications laid down in the tender form. The supply of articles marked with asterisk or words "**SAMPLES REQUIRED**" shall in conform to the approved samples. The decision of the Purchasing Officer/Comptroller/Central Stores Purchase Committee (Whether the articles supplied conform to the specifications and are in accordance with the samples) shall be final and binding on the supplier.
- (ii) If even a small percentage of supplies or any unit drawn randomly from bulk supplies does not conform to the standard of the tendered sample, than the entire supply is liable to be rejected and no excuse whatsoever (viz. manufacturing difficulties, non-availability of raw materials etc. shall be entertained) for deviation in quality will be entertained.

- (iii) If the goods or articles fail in comparison with the samples or in test they will be rejected and will have to be replaced by the supplier at his own cost & risk within the prescribed limit.
 - (iv) If, however, due to exigencies of University works, such replacement either in whole or in part, is not considered feasible, the Comptroller or the Purchasing Officer (after giving an opportunity to the contractor of being heard) shall for reasons to be recorded in writing deduct suitable amount from the bill of supply. The deduction so made will be final and binding on the supplier. If the supplier fails to appear for hearing the decision of the indenting officer without hearing the supplier shall be final & binding on the supplier.
 - (v) Articles which are prima facie defective or not in accordance with the accepted tendered sample shall not be stored in the University Stores or indenting officers, stores and if kept they shall be at the risk and responsibility of the supplier. The rejected articles must be removed by the supplier within a period of **3 days** of the date of receipt of information of rejection after which the Purchasing Officer or the Comptroller shall have the right to dispose off such articles as deemed proper at the contractor's risk and on his account. The Purchasing Officer shall also have the right to charge rent for storage of such rejected articles from the contractor at the rate to be fixed by him. His decision regarding rent will be final and binding on the supplier.
 - (vi) The contract for the supply can be repudiated at any time by the Comptroller, if the supplies are not made to his satisfaction after giving an opportunity to the contractor of being heard and the reasons of repudiation shall be recorded by the Comptroller.
21. Any increase in Excise Duty or other similar tax if imposed by the Central or state Government after due date of Tender will be paid extra. Similarly any reduction in them after the due date will be paid less to the approved supplier.
22. Remittance charges on payment made to the firms will be borne by the approved supplier/contractor.
23. Tenderers are requested to send printed descriptive literature, catalogue, photo literature of the articles if any with their tenders offers for convincing about the quality and usage of the articles but direct/indirect canvassing on the part of tenderers or their representatives after the submission of the tender shall disqualify them.
24. The University reserves the right to accept any tender not necessary the lowest, reject any tender without assigning any reason and accept any tender for all or any one or more items or the articles for which tender has been invited.
25. It is made clear that the tender must be submitted accurately in accordance with the condition of the tender and that necessary documents must invariably be enclosed wherever demanded. In the event of non-submission of these essential documents, the tender shall not be considered and shall be treated as rejected without notice or any reference.

The following documents when furnished must hold good for the entire period of the tender, failing which these will be considered as invalid documents:

- (a) Documents to prove the capacity of the tenderer as: Manager/Proprietor/Partner/Managing Partner/Director/Secretary/Sole Distributor / Manufacturer.
- (b) Documents to prove the tenderer as registered with the Director General of Supplies & Disposals, New Delhi or National Small Scale Industries Corporation.
- (c) Sales Tax Clearance Certificates.

All the documents be submitted in original or copies of the original documents can be acceptable only if these are attested by the "Govt. Gazetted Officer". Self attested or unattested copies of such documents will not be considered valid.

26. The tenderers should not quote their own conditions while submitting the tenderers. Any counter conditions or counter proposals submitted by the tenderers will not be considered at all. If a tenderer imposes conditions which are in addition to or conflicting with the conditions mentioned herein, the tender is liable to be rejected.
27. Legal proceedings, if any arising out of this tender shall have to be lodged in Courts situated in Udaipur and not elsewhere.
28. Tenderers are expected to satisfy themselves that they will be able to supply the articles tendered by them in full if their tenders are accepted. No plea that the manufacturer has either stopped the manufacturing or manufacturer has increased the prices of the tendered items or the items is not being imported due to certain restrictions shall not be considered. Successful tenders will be bound to supply the ordered articles in all circumstances and on the approved rates only.
29. Tender must be submitted on the prescribed tender forms only which can be obtained from the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur on payment as specified in the NIT. The cost of tender forms sent or deposited in the University shall neither be refunded nor adjusted towards any subsequent tender in any case. The whole set of tender form should be submitted after quoting the prices of each item in the space provided. If the tenderer does not wish to quote for some items, words "NO QUOTATION" against such items should be mentioned. Tenderer should keep one copy of the tender form, out of the two supplied to him as his office copy.
30. Where a particular make or size is stated in the tender form, no alternative should be suggested. The alternatives suggested will be ignored and the tenderer shall be assumed to have quoted for the tendered items with specifications as mentioned in the tender form.
31. Separate covering letter or communication should be sent for separate category of tenders and tenders should be submitted separately for each category. Tenders received in mixed with more than one category may not be considered.

32. The decision of the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur in all matters relating to the tender will be final and binding upon the tenderers.
33. The Earnest Money deposited at the time of submission of tender will be automatically converted into Security Money and if the amount of Security Money is more than the earnest money deposited, then the remaining amount of Security Money will have to be remitted by the contractor.
34. The tender shall on intimation of acceptance of the tender offer from the Comptroller, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur shall submit an agreement bond on non-judicial stamp of Rs. 100/- within period specified in the letter and also deposit the amount of Security Money if required as per conditions No.alongwith the agreement bond, failing which the earnest money deposited, with the tender offer will be forfeited.

**COMPTROLLER
MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF
AGRICULTURE & TECHNOLOGY, UDAIPUR**

I/We certify that I/We have read the General Terms and Conditions of the tender and that I/We agree to abide by General Terms and Conditions.

**SIGNATURE OF TENDERER
WITH STAMP**

FORM OF AGREEMENT

1. An agreement made this..... day of..... between.....(hereinafter called "**the Approved Supplier**") which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators) of the one part and the MPUAT, Udaipur a body Corporated/established under MPUAT Act, hereinafter called purchaser/University of the other part.
2. Whereas the approved supplier has agreed with the University to supply to the Direct Demanding Officers of the University at its Head Office as well as at Branch Offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column..... of the said schedule which rates shall be firm and no escalation on whatsoever shall be allowed and/or considered.
3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs.
 - i. Office Cash Certificate
 - ii. Indian Postal Order
 - iii. Cash through Treasury Challan
 - iv. Treasury savings deposit certificate and national plan certificates
(The certificates being accepted at their surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement.
4. Now these present witness:-
 - i. In consideration of the payment to be made by the MPUAT, Udaipur through..... at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set from in..... and..... thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
 - ii. The conditions of tender and contract as enclosed to the tender notice No.dt.....and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
 - iii. The University do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said article in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the University will through..... pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set

forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

The mode of payment will be as specified below:-

- 1.....2.....
- 3.....4.....

iv. The delivery shall be effected and completed within a period of..... from the date of this agreement and/or the date of order.

5. If the tenderer fails to deliver the goods within the period specified in the tender form, the Purchasing Officer may at his discretion, allow the extension of time subject to recovery from the tenderer as agree, liquidated damages and not by way of penalty a sum equal to the following percentage of the value of stores which the tenderer has failed to supply for period of delay as stated below:

- a. Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period **2½%**
- b. Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the **5%**
prescribed delivery period
- c. Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the **7½%**
prescribed delivery period
- d. Delay exceeding three fourth but not exceeding the period equal **10%**
to the prescribed delivery period

6. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Vice Chancellor, MPUAT, Udaipur and the decision of the Vice Chancellor, MPUAT, Udaipur shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on theday of.....200.....

Signature & Rubber stamp of the approved supplier

Signature for and on behalf of the Vice Chancellor

**COMPTROLLER
MPUAT, Udaipur**

Witness No. 1.....

Witness No. 2.....

DECLARATION BY TENDERERS

I/We declare that I am/We are bonafide/Manufacturers/Whole Sellers/
Sole Distributor/Authorized dealer/dealers/sole selling/Marketing agent in the
goods/Stores/equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any
other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the
tender if any to the extent accepted may be cancelled.

**Signature of the
Tenderer**